

सं. डीएम/30/2026-डीएम
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 24 अगस्त, 2026

एडवाइजरी

सेवा में,

ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशक (ओटीटी प्लेटफॉर्म)

विषय: ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों से संबंधित चेतावनी प्रदर्शित करने के संबंध में।

स्वापक पदार्थों (नारकोटिक्स), मनः प्रभावी पदार्थों और अन्य मादक पदार्थों का सेवन जनस्वास्थ्य, विशेष रूप से युवाओं के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारगत परिणाम होते हैं। ऑनलाइन सृजित सामग्री ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के मनोरंजन का एक बहुत लोकप्रिय डिजिटल माध्यम होने के नाते, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दर्शकों के बीच जिम्मेदार सामाजिक संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए आचार संहिता की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि कोई भी प्रकाशक ऐसी सामग्री प्रसारित, प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन प्रतिबंधित हो अथवा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित की गई हो। आचार संहिता की अनुसूची के भाग II में ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर मनःप्रभावी पदार्थों के प्रदर्शन से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

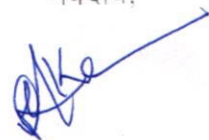
3. इस संबंध में, मंत्रालय ने दिनांक 26.11.2024 की एडवाइजरी (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्मों को परामर्श दिया था कि वे स्वापक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों को दर्शाने वाली सामग्री के संबंध में समुचित सावधानी बरतें, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 का अनुपालन सुनिश्चित करें और ऐसी सामग्री के लिए उचित सामग्री वर्गीकरण, चेतावनी और अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) प्रदर्शित करें, जिसमें ऐसे व्यवहार के हानिकारक परिणामों को प्रमुखता से दर्शाया गया हो। प्लेटफॉर्मों को मादक पदार्थों के खतरों के बारे में दर्शकों को जागरूक करने वाले जन-स्वास्थ्य संदेशों और अस्वीकरणों को शामिल करने पर भी विचार करने की सलाह दी गई थी।

4. उपरोक्त एडवाइजरी के अनुसरण में तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, ओटीटी प्लेटफॉर्मों को सलाह दी जाती है कि वे मादक पदार्थों के सेवन/उपयोग वाले दृश्यों के दौरान निम्नलिखित चेतावनी स्पष्ट, पठनीय और प्रमुख रूप से प्रदर्शित करें:

"अवैध स्वापक पदार्थ स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और कारावास की गारंटी देते हैं। नशीले पदार्थों को ना कहें।"

5. यह चेतावनी ऐसे तरीके से (फॉन्ट, रंग और आकारआदि) प्रदर्शित की जानी चाहिए जो दर्शकों द्वारा आसानी से पढ़ी जा सके और पर्याप्त अवधि तक प्रदर्शित की जाए ताकि इसे ठीक से देखा और समझा जा सके।
6. सभी ओटीटी प्लेटफॉर्मों से अनुरोध है कि वे एडवाइजरी जारी होने की तिथि से या उसके बाद जारी होने वाली सभी सामग्री के लिए इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं साथ ही, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य में योगदान दिया जाए।
7. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,



(अर्पिता एस)

उप सचिव (डिजिटल मीडिया)

ईमेल: arpitha.s@gov.in

प्रतिलिपि:

1. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्मों के स्व-नियामक निकाय।

सं. 11013/45/2024-डीएम
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 26 नवंबर, 2024

एडवाइजरी

सेवा में,

ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशक (ओटीटी प्लेटफॉर्म)

विषय: स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित स्ट्रीमिंग सामग्री के संबंध में ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए परामर्श - के संबंध में।

मंत्रालय के ध्यान में यह आया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध कुछ स्ट्रीमिंग सामग्री में मुख्य पात्र और अन्य अभिनेताओं द्वारा स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के उपयोग के चित्रण के माध्यम से अनजाने में ऐसे पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका आकर्षक चित्रण किया जा रहा है या उसका महिमामंडन किया जा रहा है। विशेष रूप से युवा और आसानी से प्रभावित होने वाले दर्शकों पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में इस प्रकार के चित्रण के गंभीर परिणाम होते हैं।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग-III के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशकों (जिन्हें सामान्यतः ओटीटी प्लेटफॉर्म कहा जाता है) पर लागू होते हैं।

3. नियमों के अंतर्गत ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए प्रदान की गई आचार संहिता में यह प्रावधान है कि कोई प्रकाशक ऐसी किसी सामग्री को प्रसारित या प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं करेगा, जो उस समय लागू किसी विधि के अंतर्गत निषिद्ध हो या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा निषिद्ध की गई हो। सामग्री के वर्गीकरण के लिए सामान्य दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:

i. क्यूरेटेड सामग्री पर उस देश के समकालीन मानकों और उन लोगों के दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है, जिनसे ऐसी सामग्री संबंधित है।

ii. वर्गीकरण संबंधी निर्णय लेते समय किसी सामग्री की विषय-वस्तु को ध्यान में रखा जा सकता है लेकिन यह उसके प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करेगा, विशेष रूप से उसके प्रस्तुतीकरण की संवेदनशीलता पर। मादक पदार्थों के दुरुपयोग सहित सबसे चुनौतीपूर्ण विषयों के वर्गीकरण के शुरुआती स्तरों पर उपयुक्त होने की संभावना नहीं है।

iii. क्यूरेटेड सामग्री का उसके समग्र प्रभाव के दृष्टिकोण से संपूर्ण रूप में आकलन किया जा सकता है। सामग्री का लहजा विभिन्न समूहों के लोगों पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण

कारक हो सकता है।

iv. किसी सामग्री का वर्गीकरण कार्य के लक्षित दर्शकों और ऐसे दर्शकों पर कार्य के प्रभाव पर भी निर्भर कर सकता है।

4. इसके अतिरिक्त, सामग्री के वर्गीकरण के लिए विषय-विशिष्ट दिशा-निर्देशों में सामग्री के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखना शामिल है:

i. **मनःप्रभावी पदार्थ, मदिरा, धूम्रपान और तंबाकू:** ऐसी फिल्मों या धारावाहिक आदि, जिनमें समग्र रूप से मनःप्रभावी पदार्थों, मदिरा, धूम्रपान और तंबाकू के दुरुपयोग को दर्शाया गया हो, उच्चतर श्रेणी के वर्गीकरण के लिए योग्य होंगे।

ii. **अनुकरणीय व्यवहार:** ऐसे संभावित रूप से खतरनाक व्यवहार का चित्रण, जिससे किसी अपराध को करने के लिए उकसाए जाने की संभावना हो, जिसमें स्वयं को क्षति पहुँचाना भी शामिल है और जिसकी बच्चे तथा युवा संभावित रूप से नकल कर सकते हैं, को उच्चतर वर्गीकरण प्राप्त होगा।

5. उपर्युक्त के आधार पर और आम जनता, विशेष रूप से युवाओं की सुरक्षा के हित में, भारत में सामग्री स्ट्रीमिंग करने वाले ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्मों को एतद्वारा निम्नानुसार परामर्श दिया जाता है:

i. **सामग्री की समीक्षा में उचित सावधानी बरतना:** ओटीटी प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री किसी भी रूप में मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों के सेवन का आकर्षण न बढ़ाए या उसे बढ़ावा न दे। जहाँ मादक पदार्थों का सेवन कथा या कहानी का हिस्सा हो, वहाँ ऐसे सेवन को समाज में "फैशनेबल" या "स्वीकार्य" के रूप में किसी भी प्रकार से दर्शाने से बचा जाए।

ii. **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस), 1985 का अनुपालन:** एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15, 16, 17, 18 और 20 में भांग, पोस्ता और कोका आधारित स्वापक औषधियों के उपयोग को दंडनीय बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 में किसी भी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के सेवन को दंडनीय बनाया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर सामग्री के माध्यम से ऐसे पदार्थों को बढ़ावा देना/उनका आकर्षण बढ़ाना, ऐसे उपयोग या सेवन के लिए दुष्प्रेरण की श्रेणी में आ सकता है, जिसे अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है।

iii. **सामग्री वर्गीकरण, अस्वीकरण और उपयोगकर्ता चेतावनियाँ:** प्लेटफॉर्मों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अंतर्गत उपबंधों का ध्यान रखने और ऐसी किसी भी सामग्री के लिए, जिसमें मादक पदार्थों के उपयोग का चित्रण हो, उचित सामग्री वर्गीकरण, चेतावनियाँ और अस्वीकरण सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है, जिसमें ऐसे व्यवहार के हानिकारक परिणामों को उजागर किया जाए।

iv. **जन स्वास्थ्य संबंधी संदेशों को बढ़ावा देना:** प्लेटफॉर्मों से यह भी आग्रह किया जाता है कि वे जन स्वास्थ्य संबंधी संदेशों और अस्वीकरणों को शामिल करने पर विचार करें, जो दर्शकों को स्वापक औषधि के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित करें, विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ स्वापक औषधि का उपयोग कहानी का हिस्सा हो। यह भी सलाह दी जाती है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में ऐसी सामग्री, जिसमें वृत्तचित्र भी शामिल हैं, के सृजन और प्रचार को समर्थन दिया जाए, जो स्वापक औषधि के दुरुपयोग के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती हो।

6. मंत्रालय सभी प्लेटफॉर्मों से उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मनोरंजन सामग्री के माध्यम से जनमत और व्यवहार को आकार देने में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति सजग रहने का दृढ़तापूर्वक आग्रह करता है।

7. ओटीटी प्लेटफॉर्मों से अनुरोध किया जाता है कि वे व्यापक जनहित में इन दिशा-निर्देशों का स्वेच्छा से अनुपालन करें। अनुपालन न करने पर विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उपबंधों को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस), 1985 के साथ पढ़े जाने के आलोक में आगे नियामक जांच की जा सकती है।

8. एक अधिक सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार डिजिटल मीडिया वातावरण सुनिश्चित करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

9. यह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
Arpitha S
Date: 30-09-2026
15:20:31

(अर्पिता एस)

उप सचिव (डिजिटल मीडिया)

ईमेल: arpitha.s@gov.in

प्रतिलिपि:-1.सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अंतर्गत ओटीटी प्लेटफॉर्मों के स्व-नियामक निकाय।